न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 30/2025
प्रविष्टि दिनांक 05.08.2025

राम मनोहर पुत्र बद्री गुर्जर निवासी सदापुरा,लाम्बाकंला तहसील व जिला टोंक राज.
—अपीलान्ट

बनाम

1—हंसराज पुत्र बद्री गुर्जर निवासी सदापुरा,लाम्बाकंला तहसील व जिला टोंक राज.
2—नायब तहसीलदार बरवास,उप तहसील बरवास तहसील टोंक जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 255 दिनांक 14.06.2016 नायब तहसीलदार बरवास

उपस्थिति —(1) श्री हंसराज धाकड,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री भागचन्द बैरवा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या—1

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बरवास द्वारा दिनांक 14.06.2016 को नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 14.06.2016 वाके ग्राम सदापुरा के खाता संख्या 118 कुल किता—2 कुल रकबा 0.53 है. भूमि को जरिये विकय पत्र मोहरपाल पुत्र बद्री साकिन देह खातेदारी के बजाये हंसराज,राममनोहर पिता ब्रद्री कोम गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गयी। नामान्तकरण कि प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या—2 द्वारा विधिवत् रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 की जाँच नहीं की है और गलत रूप से उक्त नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष मे 4/5 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्से का तस्दीक किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 799 रकबा 0.43 है. व खसरा नम्बर 800/2913 रकबा 0.10 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है. वाके ग्राम सदापुरा तहसील टोंक में स्थित है, जो पूर्व मे खातेदार मोहरपाल पुत्र बदरी गुर्जर निवासी सदापुरा की खातेदारी मे दर्ज आराजीयात है। मोहरपाल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक

जिला कलेक्टर
टोंक

01.06.2016 के जरिये अपीलांट एंव रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को उक्त भूमि विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था,उक्त आराजीयात मे से खातेदार मोहरपाल द्वारा हिस्सा 4/5 अपीलांट को एंव हिस्सा 1/5 रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को विक्रय किया था और उक्तानुसार ही प्रतिफल राशि प्राप्त की गई थी और कब्जा भी उसी अनुरूप मौके पर जाकर सुपुर्द किया गया था,उक्त तथ्य की पुष्टि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 से होती है। रेस्पोडेण्ट संख्या–2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सही रूप से अवलोकन किये बिना ही गलत रूप से अपीलांट के पक्ष मे हिस्सा 4/5 का नामान्तकरण खोलने के स्थान पर केवल मात्र 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण एंव रेस्पोडेण्ट संख्या–1 के पक्ष में 1/2 हिस्से का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने तो केवल 1/5 हिस्सा ही क्रय किया था। अपीलांट आज भी अपने क्रयशुदा हिस्सा 4/5 पर ही काबिज है। रेस्पोडेण्ट संख्या–2 द्वारा मौके पर जाकर उक्त आराजी की जाँच नही की है और गलत रूप से उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट को उक्त नामान्तकरण आदेश की जानकारी विगत 2 माह पूर्व हुई, जिस पर अपीलांट ने जानकारी कर विक्रय पत्र व नामान्तकरण नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया और उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल दिनांक 22.07.2025 को अपीलांट को प्राप्त हुई। इस कारण जानकारी की दिनांक से अपीलांट उक्त अपील अन्दर मियाद निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश कर रहा है अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नही की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु अपीलांट ने पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या–1 ने जवाबी बहस मे अपीलांट कि बहस को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नायब तहसीलदार बरवास द्वारा दिनांक 14.06.2016 को नामान्तकरण संख्या 255 दिनांक 14.06.2016 वाके ग्राम सदापुरा के खाता संख्या 118 कुल किता–2 कुल रकबा 0.53 है. भूमि को जरिये विक्रय पत्र मोहरपाल पुत्र बद्री साकिन देह खातेदारी के बजाये हंसराज,राममनोहर पिता ब्रद्री कोम गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है,

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि नामान्तकरण का आदेश पारित किये जाने से पूर्व रेस्पोडेण्ट सं. 2 (नायब तहसीलदार)द्वारा मौके पर जाकर उक्त आराजी की जाँच नही की है। खातेदार मोहरपाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 के जरिये अपीलांट एंव रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को उक्त भूमि विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था,उक्त आराजीयात मे से खातेदार मोहरपाल द्वारा हिस्सा 4/5 अपीलांट को एंव हिस्सा 1/5 रेस्पोडेण्ट संख्या–1 को विक्रय किया था। अपीलांट के कथन पर अभिभाषक रेस्पो. संख्या–1 ने अपनी सहमति प्रदान की है और साथ ही पत्रावली मे संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2016 की प्रति के अवलोकन करने से भी विदित होता है कि खातेदार मोहरपाल ने अपनी आराजी भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 0.43 है. व खसरा नम्बर 800/2913 रकबा 0.10 है. कुल किता–2 कुल रकबा 0.53 है. किस्म नहरी–1 वाके ग्राम सदापुरा तहसील टोडारायसिंह हाल टोंक को केता संख्या–1 हंसराज को 1/5 व केता संख्या–2 राममनोहर को 4/5 हिस्से का विक्रय किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार बरवास ने नामान्तकरण

जिला कलेक्टर
टोंक

संख्या 255 दिनांक 14.06.2016 वाके ग्राम सदापुरा को तस्दीक करने से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र का सही अवलोकन नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 255 दिनांक 14.06.2016 वाके ग्राम सदापुरा तहसील टोंक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि पक्षकारों की सुनवाई कर तथा दस्तावेजात की जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर,टोंक

जिला कलक्टर
टोंक